

अति तत्काल
आर टी आई मामला

सं. 14036/313/2013-यू टी पी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: ३१.०५. 2013

सेवा में

पुलिस उपायुक्त,
लोक सूचना अधिकारी,
पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट,
नई दिल्ली।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री अमित कुमार द्वारा मांगी गई सूचना।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उपर्युक्त आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 17.04.2013 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है। चूंकि आर टी आई आवेदन की विषय-वस्तु दिल्ली पुलिस से संबंधित है, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत इसे उपर्युक्त कार्रवाई हेतु आपको अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक ने अपेक्षित शुल्क इस मंत्रालय में जमा कर दिया है।

भवदीया,

१८/१२१-२३६४
(एस. सुधा)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
अवर सचिव (डी पी-॥)
दूरभाष : 23092856

संलग्नक: यथोपरि

प्रतिलिपि:

श्री अमित कुमार, भारत स्वाभिमान मुख्यालय, पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार। इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम और पदनाम श्री के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

Received with thanks.
1267/1270
10/5.


१२९३) RTI/१०१३
११४११३

पत्र क्रमांक : B.S.T/H.O./2013/233

प्रति,

लोक सूचना अधिकारी-(PIO),
केन्द्रीय गृह मंत्रालय,
भारत सरकार।

विषय : सूचना के अधिकार 2005 के अन्तर्गत।



मान्यवर!

कृपया निम्न सूचना प्रदान करें।

1. सुप्रीम कोर्ट के 4 जून, रामलीला ग्राउण्ड पुलिस अत्याचार पर सुप्रीम कोर्ट के Suo moto के सम्बन्धी केस संख्या 122/11 के निर्देश के बाद क्या-क्या कार्यवाही की गई?
2. पुलिस के कार्य में क्या-क्या सुधार प्रस्तावित किये गये उसका पत्र एवं पत्रावली की Attested Copies प्रदान करें।
3. क्या यह सुधार दिल्ली के लिये ही प्रस्तावित थे?
- ✓ 4. क्या केन्द्र सरकार/गृह मंत्रालय द्वारा कुछ Decision लिये गये?
- ✓ 5. क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोई निर्देश पत्र जारी किये? यदि हाँ तो उसकी Attested प्रति प्रदान करें।

U.S.(ph)


(आमत कुमार)

(मुख्य केन्द्रीय प्रभारी कार्यालय)

भारत स्वाभिमान मुख्यालय,
पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार।

पोस्टल आडर : ०६६, ७१३३८०